

प्रेस नोट

जनपद – संतकबीरनगर

दिनांक 07.12.2025

दबिश के दौरान 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में- ***थाना धनघटा पुलिस द्वारा*** 01 वारण्टी नाम पता मजीबुर्रहमान पुत्र शेखावत ग्राम नेतवापुर थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण:- उ0नि0 लालबिहारी निषाद, का0 गौतम कुमार।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 05 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 03 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 182 वाहनों से 1,47,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 07.12.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 182 वाहनों से 1,47,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

***थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए झपटमारी के मामले में 01 अभियुक्त व 01 बाल अपचारी को 01**

अदद मोबाईल व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल के साथ किया गया गिरफ्तार*

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सदीप कुमार मीना*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मेहदावल ***श्री सर्वदवन सिंह*** के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना बेलहरकला ***श्री अनिल कुमार*** के नेतृत्व में थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा मु0अ0स0 303/2025 धारा 304(2), 317(2), 3(5) बीएनएस थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर के मामले में 01 अभियुक्त प्रिन्स पाण्डेय पुत्र अजीत कुमार पाण्डेय निवासी ग्राम भरतपुर थाना पुरानी बस्ती जनपद बस्ती व 01 बाल अपचारी को झुड़िया पुल के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादी द्वारा दिनांक 03.12.2025 को थाना बेलहरकला पर वादिनी शारदा पुत्री त्रिलोकीनाथ निवासी झुड़िया थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर द्वारा 02 अज्ञात बाइक सवारों के विरुद्ध करमाकला मोड़ के पास से मोबाइल छिनकर भाग जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा कार्यवाही कर करते हुए आज दिनांक 07.12.2025 को उक्त अभियुक्त व बाल अपचारी को गिरफ्तार कर माननीय किशोर न्यायालय रवाना किया गया।

पूछताछ में अभियुक्त द्वारा बताया गया कि थाना मेहदावल अन्तर्गत फरदहाँ में उसका ननिहाल है, दिनांक 03.12.2025 को वह अपने मोटरसाइकिल हीरो स्पेलेण्डर यूपी 51 बीडब्लू 7922 से अपने ननिहाल फरदहाँ आया था तथा अपने मामा के लड़के के साथ योजना बनाकर सांयकाल एक लड़की जो साइकिल से मेहदावल रोड से करमा कला की तरफ आ रही थी, उससे मोबाईल रेडमी 5जी छीन लिया था।

बरामदगी का विवरण:-

01. झपटमारी से प्राप्त 01 अदद मोबाइल

02. घटना में प्रयुक्त 01 अदद मोटरसाइकिल हीरो स्पेलेण्डर यूपी 51 बीडब्लू 7922।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण:- उ0नि0 श्री धर्मेन्द्र कुमार मिश्रा, हे0का0 विजय कुमार सिंह, का0 रवीन्द्र निषा, का0 प्रवीन तिवारी।

***थाना महुली पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म करने के मामले में
वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार***

जनपद में ***मिशन शक्ति अभियान 5.0*** के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी धनघटा ***श्री अभयनाथ मिश्रा*** के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष महुली ***श्री रजनीश राय*** की गठित टीम द्वारा मु0अ0सं0 364/2025 धारा 87/137(2)/ 64(2)(जे)/127(4)/115(2) बीएनएस व 5एल/6 पाक्सो एक्ट से संबंधित पंजीकृत अभियोग में साक्ष्य संकलन व अभिलेखों के आधार पर वांछित अभियुक्त नाम पता प्रमोद कुमार पुत्र रामसेवक साकिन बानपुर थाना लालगंज जनपद बस्ती को आज दिनांक 12.12.2025 को अगया सिदाही मोड़ से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादिनी द्वारा दिनांक 06.10.2025 को थाना महुली पर वादिनी की नाबालिग पुत्री को बहला फुसला कर भगा ले जाने व दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना महुली पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए आज दिनांक 12.12.2025 को उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण:- उ0नि0 श्री अशोक कुमार सिंह, का0 मोहन चौहान, का0 अरविन्द यादव।

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए गैर इरादतन हत्या के मामले में वांछित 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री अमित कुमार*** के निकट पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0स0 1137/2025 धारा 105/115(2)/352/351(3)/3(5) भा0न्या0सं0 में वांछित अभियुक्त नाम पता 01. प्रियांशु सिंह पुत्र जगरनाथ सिंह उर्फ सुरेन्द्र सिंह निवासी कसैला थाना को0 खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर 02. श्रेयाँश पाण्डेय पुत्र अष्टभुजा पाण्डेय निवासी कोलूहा थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को आज दिनांक 07.12.2025 को उत्तरौलीया गाव के पास से नियमानुसार गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

विदित हो कि दिनांक 06.12.2025 को वादी श्री पीर मोहम्मद पुत्र स्व0 सोहरत अली निवासी बरदहिया बाजार थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना स्थानीय पर तहरीर दिया गया कि उनके भतीजे जान मोहम्मद पुत्र स्व0 सैदा हुसैन के साथ गिरफ्तार अभियुक्तगण द्वारा कसैला गाँव के पास मारपीट की गयी थी जिसके उपरान्त मेडिकल कालेज गोरखपुर में इलाज के दौरान उनके भतीजे की मृत्यु हो गयी थी । घटना में संलिप्त अभियुक्तगण उपरोक्त को आज दिनांक 07.12.2025 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

***गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री धर्मनाथ यादव, हे0का0 देवेन्द्र कुमार यादव, का0 रंजन राजभर, का0 अंजेश गुप्ता, का0 बलराम यादव ।**